प्रतिलिपि आदेश दिनांक 06—10—15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, म०प्र०, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निग० 3231—एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 02—3—15 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 321/अ—21/2013—14.

रमेश ठाकुर उम्र 36 वर्ष पिता श्री रामगोपाल ठाकुर (जाति गौंड आदिवासी) निवासी परवा, गढ़ा वार्ड, तहसील व जिला जबलपुर

— आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर

- अनावेदक

06-10-15

यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 321/अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 02-3-15 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया । यह निगरानी कलेक्टर के आदेश दिनांक 2-3-15 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 1-10-15 को पेश की गई है जो विलंब से प्रस्तुत है । निगरानी मेमो के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन प्रस्तृत कर बताया गया कि अषीनस्य न्यायालय ने आदेश की जानकारी नहीं दी , जब आवेदक प्रकरण की जानकारी लेने अगस्त-15 में कलेक्टर कार्यालय गया तब जानकारी मिलने पर नकल प्राप्त की किंतू अभिभाषक ने सलाह सही नहीं दी, तब सही सलाह मिलने यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक अभि. ने यह भी बताया कि वह ज्यादा पढा लिखा नहीं है केवल दस्तखत करना जानता है इसलिए विलंब क्षमा किया जाये । प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए विलंब के आधार सद्भाविक बताए जाने से विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अडचन नहीं आती है । अतः विलंब क्षमा किया जाता है । जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है । आवेदक की ओर से प्रस्तृत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम मानेगांव प०६०नं० ३०/३७ रा०नि०मं० जबलपुर-२ तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 55/1 रकबा 0.600 एवं 55/2 रकबा 0.200 कुल रकबा 0.800 हैक्टर के विकय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनु. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतू भेजा गया । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेगे के उपरांत भूमि विकय की अन्शंसा का प्रतिवेदन अनु. अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी

200

स्थान तथा दिनांक मर्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विकय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कय की गई है । क्लेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विकय की अनुमति देने से इंकार किया है कि भूमि निवेश की वस्तु होती है जिसकी कीमत भविष्य में बढ़ने की और अधिक संभावना है इसके अतिरिक्त यह भी आधार लिया गया है कि प्रश्नाचीन भूमि पर आवेदक का खसरा में आदेश दिनांक 27-3-14 के माध्यम से दर्ज किया गया है जिसके तत्काल बाद अप्रेल 2014 में भूमि विकय का अनुबंध हेतु आवेदन पेश किया गया है जो संदेहास्पद है और अपीलार्थी के हितों के विरूद्ध है । कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि कय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के एक माह बाद तथा भविष्य में भूमि के मूल्य में होने वाली संभावनाओं को देखते हुए उसके अंतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है । प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विकय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । कलेक्टर ने उक्त तथ्यों को अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विकय की अनुमति देने से इंकार किया हैं, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-3-15 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा आविदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम मानेगांव प0ह0नं0 30/37 रा0नि0मं0 जबलपुर-2 तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 55/1 रक्तबा 0.600 एवं 55/2 रक्तबा 0.200 कुल रक्तबा 0.800 हैक्टर को अनुराग यादव पुत्र संजीव यादव उम्र 34 वर्ष निवासी फ्लैट नं. 1602 कृष्णा हाइड, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर को विकय की अनुमति अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

- 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का ंग्रूल्य देने को तैयार हो ।
- 2- केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।
- 3- केता द्वारा विकयपत्र प्रस्तुत करने पर विकय धन विकेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विकायपत्र का पंजीयन किया जायेगा ।



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, व्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3231-एक/15

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4 अपि के विकास का संजीपन का अप्रेस के विशंक से 2 पाव की समस्त्रिय	
197	4- भूमि के विकयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयाविष में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।	
00	Harry Harry	
		·
•		